



न्यायालय:- मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2011 रेस्टो.

M-271-II/2011

गोविन्दा चौरसिया पुत्र श्री दयाराम चौरसिया
निवासी कटाघाट वार्ड सागर काजी
मोहल्ला रवि प्रेस के पास सागर म.प्र.

--- आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती ननका देवी मृत वारिसान -

1. कमलेश
2. बृजेश
3. शिवकुमार
4. दीपक
5. लोकेश
6. कु. अवधेश पुत्री स्व. राम किशोर
7. श्रीमती ओमवती पत्नी उमाशंकर
निवासीगण पुरानी सदर देवी मंदिर के
पास तह. व जिला सागर म.प्र.
8. श्रीमती ओमवती पत्नी उमाशंकर
हर्डिया निवासी हजूरगंज वीजासिन
रोड इन्दौर म.प्र.
9. श्रीमती रजनी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
हर्डिया निवासी नौलखा चौराहा के
पास इन्दौर म.प्र.

--- अनावेदकगण

आवेदन पत्र संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत मूल
प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने वाबत।

मान्यवर,





अनावेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि, मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि. 07-02-11 विधि विधान के विरुद्ध मान. न्यायालय के रामक्ष प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। परन्तु उक्त प्रकरण में पेशी दि. 07-02-11 की सूचना आवेदक अथवा उनके अभिभाषक को नहीं दी है। फिर पूर्व सूचना के प्रकरण अदम्य पेशी में निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

21.02.11
अधिवक्ता
राजस्व मण्डल म. प्र.
ग्वालियर

21.2.11

विविध २११-३३ / ११ सवार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>13-12-14 लोक कालन</p>	<p>आवेदक बालकियाल श्री-सुभाषी धावड द्वारा। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पुनः गणना रेस्टोरेशन के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों से सहमत होने पर रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। सूत्र निकासी 761-I/08 के पुनः नम्बर पर जाने के आदेश दिये जाते हैं। फेरल दायरेक रिपोर्ट भी</p> <p>  (S. S. Singh) सेक्टर 51 </p> <p>  (P. V. Sharma) सेक्टर 52 </p> <p>  (S. M. Singh) सेक्टर 53 </p>	<p>XXX</p> <p>स्थान र</p> <p></p>